an>

Title: Need to conduct a fresh inquiry into the terrorist attack on Samjhauta Express.

श्री नारणभाई काछड़िया : अध्यक्ष महोदया, मैं सदन का ध्यान एक बहुत दुखद हादसे की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं, क्योंकि जब यह हादसा हुआ, तब पूरा देश दहल गया था। भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली समझौता एक्सप्रेस में दिनांक 18 फरवरी, 2007, यानी यूपीए सरकार के कार्यकाल के दौरान आतंकवादी हमला हुआ था. जिसमें कुल 68 लोग मारे गये थे तथा अन्य घायल हुए थे। यह घटना लगभग दस साल पुरानी है। घटना के बाद जांच के दौरान पाकिस्तानी आतंकवादी पकड़े गये और उन्होंने पूछताछ में अपना गुनाह भी कबूल किया था।

अध्यक्ष महोदया, यह हादसा दस साल पुराना है, लेकिन अभी कुछ दिन पहले ही इसका खुलासा अदालत में हुआ है। आश्चर्य की बात है कि अब तक इस मामले में आखिरी फैसला क्यों नहीं आया, जबकि इसमें दो पाकिस्तानी पकड़े गये थे, जिसमें से एक पाकिस्तानी ने अपना गुनाह कबूल किया था। लेकिन उस समय की सरकार ने सिर्फ 14 दिनों की जांच करके उसे बेगुनाह करार दिया। इसके साथ-साथ अदालत में पाकिस्तानी संदिग्ध को बरी करने के लिए अपील की और सरकार के दबाव में गलत रिपोर्ट अदालत में पेश की गयी, जिससे संदिग्धों को छोड़ दिया गया।

अध्यक्ष महोदया, सबसे बड़ा सवाल यह है कि दो पाकिस्तानी संदिग्धों को छोड़ने की इतनी जल्दी क्यों थी और इतने बड़े हादसे के गुनाहगारों को केवल 14 दिनों की जांच करके क्यों छोड़ा गया? जब संदिग्धों के डाक्यूमैंट्स सामने आये, तब तत्कालीन पुलिस इन्वेस्टीगेशन अधिकारी द्वारा 9.6.2017 को बताया गया कि समझौता ब्लास्ट में पाकिस्तानी नागरिक अजमत अली को गिरफ्तार किया गया था। वह बिना पासपोर्ट के भारत आया था और दिल्ली, मुम्बई समेत देश के कई शहरों में घूमा था। जब उससे तहकीकात की गयी, तो उसने अपना अपराध कबूल किया था, परन्तु इन्वेस्टीगेशन आफिसर के अदालत में दिए गए स्टेटमैंट के अनुसार साफ जाहिर होता है कि दबाव में आने पर संदिग्ध को इस केस से निकलवाया गया था।

अध्यक्ष महोदया, पुलिस अधिकारी कभी भी अपने मन से गलत काम नहीं करते। उन पर दबाव पड़ता है, तभी वे अनुचित कार्य करते हैं। अजमत अली के डाक्यूमैंट के मुताबिक वह पाकिस्तानी नागरिक था। उसके पास न कोई वीजा था और न ही अन्य कोई लीगल डाक्यूमैंट था। उसने पूछताछ में यही कबूल किया था कि वह पाकिस्तानी नागरिक है तथा उसके पिता का नाम मो. शरीफ है। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : काछड़िया जी, शून्य काल में इतना लंबा-चौड़ा नहीं पढ़ा जाता।

â€¦(व्यवधान)

श्री नारणभाई काछड़िया : वह जिला लाहौर, पाकिस्तान का रहने वाला था। अजमत अली को छोड़ देना तत्कालीन सरकार की एक बड़ी साजिश थी, जबकि इस केस की शुरुआती जांच में यूपीए सरकार ने कहा था कि इस ब्लास्ट में लश्कर-ए-तैयबा का हाथ है। लेकिन कुछ ही दिन बाद हिन्दू आतंकवाद का नाम सामने आ गया। उस समय यूपीए सरकार के तत्कालीन गृह मंत्री श्री सुशील कुमार शिंदे जी ने भगवा आतंकवाद की बात सामने रखकर पूरे देश को चौंका दिया था। इसके बाद कुछ कांग्रेसी नेताओं ने बार-बार बीजेपी को बैकफुट पर लाने के लिए इस जुमले का इस्तेमाल किया और स्वामी असीमानंद को इस मामले में सामने लाकर केस को पूरी तरह से पलट दिया, जो तत्कालीन सरकार की एक बहुत बड़ी साजिश थी। यह देश के साथ एक बहुत बड़ा विश्वासघात हुआ और हिन्दू धर्म को बदनाम करने के लिए पूरी तरह से प्रयास किया गया।

अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इस केस की फिर से पूर्ण जांच होनी चाहिए, ताकि पूरे देश को पता चले और दोषियों को दंड मिले। बहुत-बहुत धन्यवाद। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष :

डॉ. मनोज राजोरिया,

श्री गणेश सिंह,

कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह,

श्री निशिकांत दुबे,

डॉ. किरिट पी. सोलंकी,

श्री अजय मिश्रा टेनी,

श्री गोपाल शेट्टी और

श्री भैरों प्रसाद मिश्र को श्री नारणभाई काछड़िया द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री गणेश सिंह (सतना) : अध्यक्ष महोदया, मंत्री जी से मांग है कि इसकी पूर्ण जांच करायी जाये। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : राजेन्द्र अग्रवाल जी, आपका यही विषय है, इसलिए आप संक्षेप में अपनी बात कहिए।